यूपीसीडा की भवन विनियमावली में बदलाव कर नियमों में अब एकरूपता की जाएगी

निवेशकों को राहत, भवन निर्माण नियमावली में बदलाव की तैयारी

अच्छी खबर 1

■ अजित खरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को राहत देने व नई जरूरतों को देखते हुए यूपीसीडा अपनी भवन निर्माण नियमावली में बदलाव करेगा। इसके साथ ही अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की नियमावली इस तरह बदलाव होंगे जिससे नियमों में एकरूपता रहे। सभी औद्योगिक प्राधिकरण इसी हिसाब से अपनी भवन निर्माण के नियमों में बदलाव करेंगे।

औद्योगिक विकास विभाग ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिए थे कि वह अपनी भवन निर्माण नियमावली में एकरूपता लाएं। इसी के तहत यूपीसीडा ने अपनी भवन निर्माण नियमावली में संशोधन कर उसे अपने बोर्ड से पास करा शासन भेज दिया है। अब इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

इस नीति का मकसद है कि निवेशकों के लिए नियम सरल हों। उनमें एकरूपता आए। प्राधिकरणों की जमीन का अधिकतम उपयोग व सही से उपयोग हो। साथ ही नवीनतम प्रयोगों का इस्तेमाल कर उद्योग स्थापित हो सकें। इसी लिए भवन नियमावली में बदलाव किया गया है। इससे निवेशकों को सुविधा होगी और राज्य में पूंजी निवेश और तेजी से बढ़ेगा। –मयूर माहेश्वरी, सीईओ यूपीसीडा

पूर्व के प्रावधान निरस्त होंगे

प्रस्तावित नीति में प्रावधान है कि अब भवन का जब ले आउट बनेगा तब उसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन, गैस रिचार्ज, ट्रक पार्किंग, वेंडर जोन, वेयरहाउस आदि के लिए भी जगह छोड़ी जाएगी। इसके लिए निश्चित आकार के भूखंड आवंटित होंगे। इसका लैंड यूज चेंज नहीं हो सकेगा। इसके अलावा वर्तमान नीति में कई अन्य तरह के पूर्व में किए गए प्रावधान अब निरस्त हो जाएंगे। इन्हें अनुपयोगी व अव्यवहारिक माना जाने लगा है।

पर्यावरण पर रहेगा खास जोर

इसके अलावा भवन नीति में अब पर्यावरण अनुकूलता का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। अग्निशमन व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान होंगे। फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भी नए नियम बनेंगे। निवेशकों को प्लग एंड प्ले के तहत भूखंड आवंटित होंगे। इससे निवेशक बिना समय गवांए अपना उद्योग फ्लैटेड फैक्ट्री में चालू कर सकेंगे।

इसमें फ्लोर एरिया रेश्यो बढ़ाने का प्रावधान किया गया। यह विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग दर के हिसाब से होगा। इसका मकसद जमीन का ज्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। साथ ही इससे ग्राउंड कवरेज भी ज्यादा हो सकेगा।